उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या–14 /2018/आडिट-1-978/दस-2018-308(1)/2018
लखनऊ : दिनांक 13 सितम्बर, 2018

विज्ञप्ति/प्रोन्नति/नियुक्ति

श्री राज्यपाल, मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 रू0 47,600 से 1,51,100/-) को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रू0 56,100 से 1,77,500/-) पर मौलिक रूप से पदोन्नति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में उल्लिखित जनपद/स्थान पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त/तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं :–

क्र0	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	गृह जनपद	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर वर्तमान तैनाती का स्थल	नवीन तैनाती
1	2	3	4	5
1.	उमाशंकर	फतेहपुर	औरैया	कन्नौज
2.	सुशील कुमार सिंह	मैनपुरी	उन्नाव	बाराबंकी
3.	विजय शंकर	वाराणसी	अम्बेडकर नगर	सन्त कबीर नगर
4.	रमाकान्त सिंह	मऊ	आजमगढ़	कुशीनगर
5.	आनन्द प्रकाश पाठक	मिर्जापुर	प्रतापगढ़	भदोही

2- उक्त अधिकारियों को प्रोन्नत के पद पर योगदान देने की तिथि से ही जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3- उक्त अधिकारियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली-2013 (यथासंशोधित 2016) के अनुसार विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

.....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-14/2018/आडिट-1-978(1)/दस-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-52(ii)/12/पी0/एस-5/2017-18, दिनांक 13 अगस्त, 2018 के सन्दर्भ में।
3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ हेतु।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बराती लाल
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।